कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccf-kanker.cg@gov.in (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.39/2018/8172 कांकेर, दिनांक/12/12/2018

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

नारायणपुर वनमंडल

विषय :– **Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 Proposed for 16th B.N.(L.R.) C.A.F. Head Quarter Establishing Area 12..899 ha. regarding Registration No. FP/CG/Other/34216/2018**

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./6779 दिनांक 06.12.2018

विषयांतर्गत संदर्भ में लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत के दिशा–निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव वनमंडलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल के संदर्भित पत्र के माध्यम इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियाँ पाई गई है, जो निम्नानुसार है :–

1. प्रस्ताव में वनमंडलाधिकारी का भाग–2 एवं स्थल निरीक्षण प्रपत्र–3 में प्रस्तावित भूमि का घनत्व एवं साईट क्वालिटी तथा दिनांक अंकित नहीं किया गया है।
2. प्रस्ताव में वनमंडलाधिकारी का भाग–2 के बिन्दु क्रमांक 10 के उप बिन्दु (iv) की पूर्ति नहीं की गई है और न ही वनमंडलाधिकारी का भाग–2 वेबसाईट पर अपलोड किया गया है।
3. वेबसाईट में Part-II में प्रस्तावित भूमि का घनत्व 0.4 के स्थान पर घनत्व 4 अंकित किया गया है, जो सहीं नहीं है।
4. वनमंडलाधिकारी द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण के Geo-referenced map एवं Survey of India Toposheet नक्शा वेबसाईट में अपलोड नहीं किया गया है।
5. वनमंडलाधिकारी द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण का परियोजना प्रतिवेदन एवं डी.जी.पी.एस.सर्वे रिपोर्ट वेबसाईट में अपलोड नहीं किया गया है।

प्रकरण का प्रस्ताव मूलतः वापस किया जाता है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं की कमियों की पूर्ति कर पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, ताकि प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न :– प्रस्ताव मूलतः।

<u>विशेष नोट</u>– "प्रायः यह देखने में आ रहा है कि शासकीय/निजी परियोजनाओं में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि का चयन किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के गाईड लाईन दिनांक 08.11.2017 एवं अ.प्र.मु.व.सं. (भू–प्रबंध) छ.ग.रायपुर के पत्र दिनांक 20.09.2018 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत क्षतिपूर्ति वनीकरण के संबंध में दायित्व के निर्धारण के जारी दिशा–निर्देशों तहत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में लिए समतुल्य निजी भूमि/राजस्व गैर वन भूमि/राजस्व वन भूमि अथवा अंतिम विक्ल्प के तौर पर दुगूनें नारंगी वन क्षेत्रों का प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए है।"

12/12/18

मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.39/2018/8173 कांकेर, दिनांक/12/12/2018

प्रतिलिपि :— आवेदकनकर्ता, सेनानी 16 वी वाहिनीं (भा./र.) छ.ग.बल नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उपरोक्त बिन्दुओं की कमियों की पूर्ति कराकर वनमंडलाधिकारी नारायणपुर के माध्यम से पुनरीक्षित प्रस्ताव तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

12/12/18

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर